न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या 12/90/2017 | प्रवेश तिथि 18—12—2017 | निर्णय दिनांक 18—12—2018

01— नत्थे पुत्र झूथर जाति जाट निवासी ग्राम मेवली तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

—अपीलाण्ट

बनाम

01— नायब तहसीलदार कोटकासिम, जिला अलवर

रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार कोटकासिम दिनांक 05..12.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 99/2017

उपस्थितः—

01—श्री पवन सिंह चौहान

—वकील अपीलाण्ट

—:निर्णयः—

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार कोटकासिम के आदेश दिनांक 05.12.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम मेवली की राजकीय भूमि के आराजी खसरा नम्बर 793 रकबा 2.03 बीघा किस्म गैरमुमकिन रास्ता के रकबा 0.01 बीघा पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम ग्राम मेवली की राजकीय भूमि के आराजी खसरा नम्बर 793 रकबा 2.03 बीघा किस्म गैरमुमकिन रास्ता के रकबा 0.01 बीघा पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 16.11.2017 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने एक माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 15.12.2017 का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा कब्जा छोडना बताया गया है तथा भविष्य मे अतिक्रमण नहीं करने का निवेदन किया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का बघाना द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 22.12.2017 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है एवं नायब तहसीलदार कोटकासिम को आदेशित किया जाता है की यदि उक्त अपीलान्ट उक्त आराजी पर पुनः अतिक्रमण करता है, तो उसके विरूद्व एल आर एक्ट के तहत 91(6) के तहत कार्यवाही की जावे।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18—12—2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)